संख्याः 23/ 2019/125 बीपी/ 35-1-2019

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

दुग्ध आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 13 दिसम्बर,2019

विषयः बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में दुग्ध विकास विभाग की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुग्ध विकास विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित परियोजनाओं की शासनादेश संख्या-02/2019/07 बीपी/35-1-2019 दिनांक 23 जनवरी, 2019 द्वारा रू. 107.01 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 28.96 करोड़ की धनराशि कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया तथा कोई धनराशि समर्पित नहीं की गई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में परियोजना के कार्यों हेतु रू. 78.05 करोड़ की धनराशि देय होती है। एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में परियोजना के कायों को पूर्ण करने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू. 78.05 करोड़ (रूपये अठहत्तर करोड़ पॉच लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- (धनराशि करोड़ रू. में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय	अवमुक्त धनराशि
1	दुग्ध समितियों का सुदृढ़ीकरण			
1.1	दुग्ध समितियों का गठन	2.83	1.47	1.36
1.2	दुग्ध समितियों का पुनर्गठन	1.02	1.02	0.00
2	जनपद बांदा में 01 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की दुग्धशाला का निर्माण	103.16	26.47	76.69
	योग	**107.01**	28.96	**78.05**

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 2019 की सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
3. प्रशासकीय विभाग द्वारा अवमुक्त की गई सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता-प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2020 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
6. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व दुग्ध विकास विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अंतर्गत सुसंगत मदो के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 23/2019/125बीपी (1) /35-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट/ललितपुर।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 23 /2019/ 125 बीपी(1)/ 35-1-2019 दिनांक : 13 दिसम्बर, 2019 का संलग्नक

	मद	अवमुक्त धनराशि (रू. करोड़ में)	लेखाशीर्ष
1	दुग्ध समितियों का सुदृढ़ीकरण	1.36	2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम- 02- पिछड़े क्षेत्र- 800- अन्य व्यय- 04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें- 02- दुग्ध समितियों का सुदृढ़ीकरण - 42- अन्य व्यय
2	जनपद बांदा में 01 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की दुग्धशाला का निर्माण	76.69	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम- 02- पिछड़े क्षेत्र- 800- अन्य व्यय- 04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें- 13- जनपद बांदा में दुग्धशाला का निर्माण-24- वृहत् निर्माण कार्य
		78.05 (रूपये अठहत्तर करोड़ पांच लाख मात्र)	

(आर.एन.एस. यादव)
विशेष सचिव, नियोजन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।